भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 924

उत्तर देने की तारीख : 05.02.2026

वारंगल में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

924. डॉ. कडियम काव्य :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का वारंगल जिले में जिसमें क्लस्टर विकास, निर्यात सुविधा और संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुंच सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), 'निर्यात हब के रूप में जिले' और अन्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा पहलों के तहत वारंगल के लिए कोई परियोजनाएं/पहल स्वीकृत या समर्थित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो स्वीकृत/जारी की गई निधियों, अपेक्षित रोजगार और कार्यान्वयन की स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, लॉजिस्टिक्स पार्क, परीक्षण सुविधाओं और निर्यात प्रोत्साहन सहायता के साथ एकीकरण के माध्यम से वारंगल में एमएसएमई के लिए बाजार संपर्क में सुधार करने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग) : भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने क्लस्टर विकास, निर्यात सुविधा और संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुंच के माध्यम से वारंगल जिले सहित देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए स्कीमों का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में पहलों और स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:-

i. तेलंगाना के वारंगल ग्रामीण और वारंगल जिले में स्कीम की शुरुआत से ही सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) के तहत तीन अवसंरचना विकास (आईडी) परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल परियोजना लागत 3620.64 लाख रुपए और भारत सरकार का सहायता अनुदान 2580.84 लाख रुपए है, जिनमें से एक परियोजना पूरी हो चुकी है।

ii. तेलंगाना के वारंगल जिले में एक प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) को इस मंत्रालय की "नए प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार केंद्रों की स्थापना" स्कीम के तहत मंजूरी दे दी गई है और यह कार्यान्वयन के अधीन है।

iii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने केंद्रीय उपकरण अभिकल्प संस्थान (सीआईटीडी), हैदराबाद और एमएसएमई – विकास कार्यालय, हैदराबाद में दो निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए हैं, जो तेलंगाना के वारंगल जिले सहित एमएसएमई को उनके उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं।

iv. भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने वारंगल जिले सहित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई) को वित्तीय सहायता में सुधार लाने के लिए कई पहल और उपाय किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- एमएसई को प्रदान किए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस)। इस योजना के अंतर्गत गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए है।
- आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड की स्थापना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए की गई है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपए और निजी इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान है।

(घ) : प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) एक परिवर्तनकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे तेलंगाना के वारंगल जिले सहित पूरे भारत में एकीकृत, बहुआयामी कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्कीम बनाने, लॉजिस्टिक लागत को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जीआईएस डेटा का उपयोग करते हुए 7 प्रमुख अग्रणी क्षेत्रों-रेलवे, सड़क, बदंरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक को समन्वित करता है।

*****